कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

पत्रांक : सीएसयूडब्ल्यू–987/2020–21

दिनांक : फरवरी 3, 2021

आवश्यक सूचना/निर्देश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के पत्रॉंक सं0का0प्र0/छात्रवृत्ति–2020–21/2021–1262 दिनॉंक 22.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2020–21 में "प्रवेश पाये कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति हेतु इच्छुक छात्र/छात्राएं दिनांक 08.02.2021 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर रु0 3000.00 प्रति माह एवं परास्नातक स्तर पर रु0 3000.00 प्रति माह देय होगी, छात्रवृत्ति पाने हेतु आवेदन पत्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। जिसके सम्बन्ध में योजना की शर्तें एवं नियम निम्नवत है।

आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरो के पुत्र एवं पुत्री पात्र होंगे।
2. छात्रवृत्ति की सुविधा उन्ही मण्डी क्षेत्रों के कृषको हेतु अनुमन्य होगी जहाँ विनियमन लागू हुआ हो अर्थात धारा 9 व 10 मण्डी अधिनियम के द्वारा जारी हुआ हो।
3. छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा।
4. छात्रवृत्ति आवेदन हेतु छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
5. छात्र/छात्रा को अध्ययन अवधि में अच्छा अनुशासन एवं अच्छा आचरण रखना अनिवार्य होगा।
6. छात्र द्वारा यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा अन्य श्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा मे मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति मे से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
7. एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति की देयता सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु होगी।
8. छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समान मान (Weightage) दिया जायेगा।
9. यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई तथ्य छिपाया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति की सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।
10. किसी भी चयनित छात्र के अवर्ती परीक्षा मे असफल होने या निर्धारित ओ0जी0पी0ए0 कम प्राप्त होने की दशा मे छात्रवृत्ति की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. निरन्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को चरित्र परिवीक्षा (सी0पी0)मे नही होना चाहिए चरित्र परिवीक्षा (सी0पी0) होने की दशा मे छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि मे अच्छा आचरण एवं अनुशासन रखना अनिवार्य होगा।
12. छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्रा का चयन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्र/छात्राओं की सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ–साथ सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा0/विप्र) अथवा मण्डी निदेशक द्वारा नामित किए अधिकारी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगें।

2/2/21

(आर0पी0 सिंह)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रॉंक एवं दिनॉंक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलसचिव।
2. अधिष्ठाता कृषि/गृह विज्ञान/कृषि अभियान्त्रिकी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त छात्रावास नोटिस बोर्ड।
5. ए0के0एम0यू0 विभाग को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करे।
6. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(आर0पी0 सिंह)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण